न्यायालय जिलाकलेक्टर, कोटा

पीठासीनअधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —38/2024 (अपील)

GCMS No.2024/115

श्रीनाथ इन्टरप्राइजेज /बून्दी सिलिका माईन्स चेचट जरिये मालिक /प्रबन्ध
श्री नवनीत निवासी—खान एरिया, चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

——अपीलान्टगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री नाथूलाल
2. भगीरथ पुत्र नाथूलाल
3. रामकिशन पुत्र नाथूलाल
4. जगदीशपुत्र नाथूलाल
5. देवीलाल पुत्र नाथूलाल
6. बसन्ती बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी सोहनलाल
7. राधेश्याम पुत्र नाथूलाल
8. सम्पत बाई पुत्री काशीराम पत्नी किशन
   निवासीगण चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज0

——रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 18.10.2022 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी मिसल नं0 01/2022 उनवान बाबूलाल वगै0 बनाम श्रीनाथ एन्टर प्राईजेज चेचट अन्तर्गत धारा 183—बी रा0टी0एक्ट

उपस्थित—

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मनोज कुमार मंत्री, अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण

निर्णय

दिनांकः— 02.06.2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183—बी के सम्बन्ध में मि0नं0 01/2022 में दिनांक 18.10.2022 को निर्णय पारित किया कि— "प्रार्थना पत्र अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम चेचट की भूमि आराजी नं0 11 रकबा 0.13 हे0 को मौके पर नाप कर अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगण को संभलाया जावें । निर्णय की एक प्रति पालनार्थ नायब तहसीलदार चेचट को भिजवाई जावें ।
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलांट ने यह अपील दिनांक 01.07.2024 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जिस पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है उस पटवारी रिपोर्ट पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 न्यायिक सिद्वान्तों व ऑडियोपार्टम सिद्वान्तों के विरूद्व होने के कारण अपास्त होने योग्य है । खसरा नं0 11 ग्राम चेचट रकबा 0.13 हे0 के सम्बन्ध में भी रेस्पोडेन्ट /वादीगण यह साबित नहीं कर सके है कि खनन क्षैत्र में मलबा किसका है और कितने एरिये में मलबा डला हुआ है और स्वयं रेस्पोडेन्ट /वादीगण का कितना रकबा है । इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फाईण्डिंग अपास्त होने योग्य है ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया, रेस्पो0 नं0 1 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री मनोज कुमार मंत्री का वकालतनामा पेश हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । शेष रेस्पेडेन्टगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर उपस्थित विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण ने की बहस सुनी गई ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट / वादीगण की कृषि आराजी संख्या 302 रकबा 0.32 हे0 के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवादित नहीं होना प्रार्थीगण /रेस्पोडेन्ट के द्वारा स्वीकार किया है तथा खसरा नं0 13 रकबा 0.48 हे0 ग्राम चेचट की भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं पाया गया , जहां तक खसरा नं0 11 के सम्बन्ध में यह कथन आया है कि अप्रार्थी का मलबा वर्ष 2007 से होना जाहिर आया है । इस प्रकार से पटवारी ने जो यह कथन अंकित किया है जिसके सम्बन्ध में कहीं भी यह बात साबित नहीं होती है कि खसरा नं0 11 रकबा 0.13 हे0 जो कि 1 बीघा से भी कम है में जो मलबा है वह अप्रार्थी का है, इसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि मौके पर जो खसरा नं0 अपीलार्थी के पजेशन में है वह खसरा नं0 28 रकबा 0.68 हे0, खसरा नं0 10 रकबा 0.52 हे0, खसरा नं0 23 रकबा 0.50 हे0,खसरा नं0 25 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 24 रकबा 0.55 हे0, ख0नं0 20 रकबा 0.74 हे0, खसरा नं0 27 रकबा 0.11 हे0, खसरा नं0 130 रकबा 0.13 हे0, ख0नं0 130/ 2568 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 131 रकबा 0.38 हे0, ख0नं0 132 रकबा 0.40 हे0, ख0नं0 134 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 135 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 32 रकबा 0.78 हे0, वाके ग्राम चेचट में स्थित है । इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं0 11 के सम्बन्ध में दी गई फाईण्डिंग अपास्त होने योग्य है क्योंकि रेस्पोडेन्ट / वादीगण यह साबित नहीं कर सके है कि खनन क्षैत्र में मलबा किसका है और कितने एरिये में मलबा डला हुआ है और स्वयं रेस्पोडेन्ट /वादीगण का कितना रकबा है । खसरा नं0 13 व 302 के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट / वादीगण के द्वारा कोई अपील नहीं की गई है । इस कारण से यह अन्तिम हो गई है । इस कारण से रेस्पोडेन्ट /वादीगण का कोई विवाद नहीं रहा है ओर ना ही इस सम्बन्ध में कोई तथ्य साबित कर सका है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिनांक 18.10.2022 पारित किया गया है वह विधि के द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के विरूद्व, है इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय अपास्त होने योग्य है । मियाद के बिन्दु के सम्बनध में वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया है कि कार्यालय तहसीलदार चेचट द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/24/812 दिनांक 28.5.2024 जो खाता संख्या 234 के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है वह नोटिस वेग तथा गलत तथ्यों पर आधारित है और जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है उससे परे जाकर उक्त नोटिस 28.5.2024 जारी किया गया है जिसका जवाब अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 18.6.2024 को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया जा चुका है। इस कारण से अपील पेश किया जाना आवश्यक हो गया है । इस कारण से नोटिस दिनांक 28.5.2024 एवं जवाब नोटिस दिनांक 18.6.2024 के पश्चात अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है । इललीगल एक्शन के लिए कोई परिसीमा लागू नहीं होगी । अतः उपरोक्त सुदृढ एवं ठोस तथ्यों, कानूनी परिस्थितियों को देखते हुए तहसीलदार रामगंजमण्डी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 अन्तर्गत धरा 183(बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, उनवान बाबूलाल वगै0 बनाम श्रीनाथ एन्टरप्राईजेज को अपास्त किये जाने की कृपा करें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अप्रार्थी अपीलांट द्वारा नाजायज रूप से कब्जा किया जाने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा –183–बी रा0टी0एक्ट के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं0 11 302, एवं खसरा नं0 13 की मौके की जांच कराई जाकर केवल खसरा नम्बर 11 पर ही अप्रार्थी अपीलांट का कब्जा होना प्रमाणित माना जाने से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को संभलाने के आदेश किये है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के सदस्य होने से तथा प्रार्थीगण की भूमि पर सवर्ण का कब्जा होने पर विधिकरूप से अनुसूचित जाति के सदस्य को कब्जा संभलाने का प्रावधान होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 183–बी रा0टी0 एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है । प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कराना चाहते है तथा अपीलांट का मुख्य कथन है कि खसरा नं0 11 के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट यह साबित नहीं कर सके है कि खनन क्षैत्र में मलबा किसका है और कितने एरिये में मलबा डला हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने 183–बी के प्रावधानों के तहत जांच कराने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि खसरा नं 11 की रकबा 0.13 हे0 पर श्रीनाथ ईन्टर प्राईजेज कम्पनी का 2007 से मलबा पड़ा हुआ है, इन्ही तथ्यों के आधार

जिला कलक्टर
कोटा

पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । प्रस्तुत अपील सारहीन बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट के विरूद्व लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 01.07.2024 को पेश की गई है जो निर्धारित समय सीमा में नहीं है । किन्तु विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करने एवं मियाद के सम्बन्ध में कोई खण्डन नहीं करने से धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में अंकित तथ्यों को न्याय की दृष्टि से सहानुभूति पूर्वक विचार कर तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित मानते हुए धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

7. प्रस्तुत अपील में एवं दोराने बहस वकील अपीलांट का मुख्य तर्क है कि खसरा नम्बर 11 की 0.13 हे0 ग्राम चेचट के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट /वादीगण यह साबित नहीं कर सके है कि खनन क्षैत्र में मलबा किसका है और कितने एरिये में मलबा डला हुआ है, इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना की है । अपीलांट का यह तर्क न्यायसंगत नहीं है । प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अनुसूचित जाति के व्यक्ति प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 0.13 हे0, खसरानम्बर 13 रकबा 0.48 हे0, एवं खसरा नरम्बर 302 रकबा 0.32 हे0 पर अप्रार्थी अपीलांट खान मालिक का मलबा डाल कर कब्जा करने से अप्रार्थी को बेदखली की प्रार्थना की जाने पर केवल खसरा नम्बर 11 की रकबा 0.13 हे0 पर ही अप्रार्थी अपीलांट द्वारा ही खान का मलबा डाला जाकर अपीलांट का कब्जा होना मौका रिपोर्ट से जाहिर हुआ है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 183–बी रा0टी0एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रार्थी अपीलांट की बेदखली कर कब्जा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को संभलाने के आदेश पारित किये है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है । अपील अपीलांट सारहीन बलहीन प्रतीत होती है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.10.2022 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा